—: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म0प्र0) :—

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्रं0— /दो—12—08/2025 बालाघाट, दिनांक नवम्बर, 2026

कुटुम्ब न्यायालय परिसर, बालाघाट में मशीनीकृत साफ—सफाई सेवायें और बगीचों/पौधों के रख—रखाव आदि हेतु प्रतिष्ठित/अधिकृत वेण्डर्स/एजेंसियों से ऑनलाईन टेण्डर पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से टेंडर आमंत्रित किये जाते है, विवरण निम्नानुसार है :—

टेण्डर प्रकाशन/प्रारंभ की दिनांक व समय	13-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर संबंधी प्री—बिड मीटिंग की दिनांक व समय	18-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर प्रकाशन खत्म/बंद करने का दिनांक व समय	28-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर खोले जाने की अंतिम तिथि व समय	30-11-2026 at 5:00 P.M.

नियमों और शर्तो के साथ विस्तृत टेण्डर एवं दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट https://mphc.gov.in, ऑनलाईन टेण्डर पोर्टल https://mptenders.gov.in और जिला एवं सत्र न्यायालय बालाघाट की अधिकारिक वेबसाईट https://balaghat.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट (म.प्र.)

–: कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0) :–

// निविदा के दस्तावेज //

कार्य का नाम :– कुटुम्ब न्यायालय परिसर, बालाघाट में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवायें और बगीचों/पौधों के रख–रखाव आदि हेतु ।

टेण्डर प्रकाशन/प्रारंभ की दिनांक व समय	13-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर संबंधी प्री–बिड मीटिंग की दिनांक व समय	18-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर प्रकाशन खत्म/बंद करने का दिनांक व समय	28-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर खोले जाने की अंतिम तिथि व समय	30-11-2026 at 5:00 P.M.
टेण्डर शुल्क की राशि	Rs. 2500/- रूपये दो हजार पांच सौ मात्र
बयाना राशि	Rs. 25,000/- रूपये पच्चीस हजार मात्र

—: कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0) :—

// चेक–लिस्ट //

-: CHECK LIST :-

टेण्डर भरने वाले का प्रत्येक बिन्दु को ध्यान से देखना चाहिए और उस पर (√) का निशान लगाना चाहिए।

क्र.	विवरण	निशान लगावे (√)
1.	निविदाकर्ता द्वारा इस टेण्डर के प्रत्येक दस्तावेज एवं निर्देश ध्यान से पढ़ा है और इसे समझने के बाद ही वे इसे जमा कर रहे है।	
2.	निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक जानकारी भरने और समस्त दस्तावेज संलग्न करने के बाद ही टेण्डर जमा किया गया है एवं टेण्डर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये गये है।	
3.	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कार्य के समस्त तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है।	
4.	निविदाकर्ता द्वारा **"प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट (म.प्र.)"** के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से बनाया गया बयाना राशि का डीडी/एफडीआर/ बैंक चैंक/ बिना शर्त बैंक की गारंटी पत्र रू. 25,000/– की संलग्न किया है।	
5.	निविदाकर्ता द्वारा उनके संस्थान के पिछले अनुभव के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है।	
6.	निविदाकर्ता के पास अनुबंध को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैनपॉवर है।	

—: कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0) :—

// दरों की अनुसूची //

कुटुम्ब न्यायालय परिसर, बालाघाट में मशीनीकृत साफ—सफाई सेवायें और बगीचों/पौधों के रख—रखाव आदि हेतु आमंत्रित निविदा की दरों की अनुसूची :—

कार्य—स्थल का नाम जहां के परिसर, न्यायालय भवन/कक्षों में मशीनीकृत साफ—सफाई का कार्य एवं बगीचों/पौधों का रख—रखाव का कार्य किया जाना है	आवश्यक कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या	निविदाकर्ता को उक्त कार्य हेतु कर्मचारियों की संख्या के मान से एक वर्ष के लिए प्रस्तावित दर का उल्लेख किया जाना होगा (अंकों में/शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
कुटुम्ब न्यायालय का नवीन भवन डेंजर रोड, बालाघाट (म0प्र0)	03	**राशि टेक्स सहित** अंकों में ..... शब्दों में ..... **राशि बिना टेक्स के** अंकों में ..... शब्दों में .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :— .....

पता :— .....

नोट :—

1. कुटुम्ब न्यायालय में न्यूनतम कर्मचारी के अवकाश पर रहने की दशा में संबंधित संस्थान द्वारा अन्य कर्मचारी की व्यवस्था की जावेगी।
2. कर्मचारीगण की उल्लेखित की गई न्यूनतम संख्या के कम संख्या हेतु प्रस्तुत की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. कृपया टैक्स के साथ और टैक्स के बिना राशि का साफ—साफ उल्लेख करें।
4. किसी शर्त सहित उल्लेखित प्रस्ताव और अस्पष्ट प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।
5. निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव अंकों और शब्दों दोनों में उल्लेख करना होगा।
6. कृपया प्रस्ताव जमा करने के पहले कुटुम्ब न्यायालय भवन का निरीक्षण करें, तदोपरान्त ही अपना तकनीकी प्रस्ताव भरा जावे।

—: कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0) :—

// निविदा का फार्म //

प्रति, दिनांक :— _____

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म.प्र.)

मैंने/हमने ———————————————— निविदा की सभी शर्तो को पढ़ लिया है और मैं/हम उन शर्तो को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम निविदा खुलने की तारीख से ..... की अवधि तक टेंडर को स्वीकार किए जाने के लिए और लिखित रूप में कहे जाने पर इसे और ..... के लिए बढ़ाने के लिए भी सहमत हूँ/हैं और ऐसा न करने पर, मेरी/हमारी बयाना राशि (earnest money) जब्त कर ली जाएगी। मैं/हम अनुबंध की शर्तों का पालन करने और साथ में लगे समझौते के अनुसार काम करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम इसके द्वारा **"कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट"** में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएँ और बगीचों/पौधों का रख–रखाव आदि के लिए दरों की अनुसूची संबंधी प्रारूप में उल्लेखित की गई दरों पर कार्य करने के लिए यह टेंडर जमा कर रहा हूँ/रहे हैं। जब तक कोई औपचारिक समझौता तैयार और लागू नहीं हो जाता, तब तक इस टेंडर की स्वीकृति हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध (binding contract) मानी जाएगी, जिसमें आपसी सहमति से बदलाव किए जा सकते हैं। ये बदलाव यहाँ संलग्न समझौते के प्रारूप और इस काम के लिए मेरे/हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति पत्र में बताए गए नियमों के अनुसार होंगे।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हाई कोर्ट की वेबसाइट (https://mphc.gov.in), सरकारी टेंडर पोर्टल (https://mptenders.gov.in) और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट (https://balaghat.dcourts.gov.in) से डाउनलोड किया गया टेंडर डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा ही प्रिंट किया गया है। मैंने/हमने प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट की सामग्री को वेबसाइट से मिला लिया है और टेंडर डॉक्यूमेंट की सामग्री में कोई भी चीज जोड़ी, हटाई या बदली नहीं गई है। किसी भी विवाद की स्थिति में, टेंडर डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को ही अंतिम माना जाएगा और यदि यह मूल टेंडर डॉक्यूमेंट से अलग पाया जाता है, तो "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट" द्वारा मेरा/हमारा टेंडर फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है।

टेंडर नोटिफिकेशन में बताए अनुसार मेरे/हमारे द्वारा बयाना राशि (earnest money) के रूप में Rs. _____ (Rupees _____) का एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बिना शर्त बैंक गारंटी नं. _____ (तारीख _____) की मूल प्रति संलग्न की गई है ।

टेंडर फॉर्म की कीमत Rs- _____ (रुपये _____) का "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0)" के नाम से जारी किया गया डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नंबर नं. _____ (तारीख _____) बैंक का नाम _____ मूल रूप से टेंडर के साथ संलग्न है।

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता

1. .....

नाम : .....

2. .....

नाम : .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)

नाम :— .....

पता :— .....

.....

—: कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (म0प्र0) :—

कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में मशीनीकृत सफाई सेवाओं और बगीचों/पौधों के रखरखाव आदि के लिए सीलबंद टेंडर आमंत्रित करता है। यह टेंडर प्रतिष्ठित, पंजीकृत, वास्तविक, अनुभवी और योग्य फर्मों/ठेकेदारों के लिए है, जिन्होंने सरकारी मंत्रालयों/विभागों, अर्ध—सरकारी संगठनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) में इसी तरह का काम किया हो और जो इस टेंडर दस्तावेज की सभी शर्तों को पूरा करते हों।

1. निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश :—

1- टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 28-11-2026 शाम 05:00 बजे है। टेंडर 30-11-2026 को शाम 05:00 बजे खोले जाएंगे। ऑफलाइन टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

2- टेंडर भरने से पहले, टेंडर भरने वाला व्यक्ति बालाघाट के "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय" के कार्यालय से लिखित अनुमति लेकर कुटुम्ब न्यायालय भवन का निरीक्षण कर मुआयना कर सकता है, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि उसे संबंधित कार्य—क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। इसके बाद ही टेंडर भरा जावे और बाद में वह इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं कर पाएगा।

3- टेंडर भरने वाले को साफ तौर पर बताना होगा कि कौन—सी चीजें/मैनपावर/मशीनें/सेवाएँ कार्य हेतु उपयोग में नहीं ली जावेगी। बाकी सभी चीजों/सेवाओं को कार्य हेतु सम्मिलित माना जाएगा।

2. अनुबंध की अवधि :—

यह अनुबंध प्रारंभ में अनुबंध की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंधकर्ता के संतोषजनक कार्य के आधार पर और आपसी सहमति से इसे ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, यह अवधि बढ़ाने की तारीख पर बाजार में सर्विस/प्रोडक्ट की कीमतों के ट्रेंड पर भी निर्भर करेगा।

3. कार्य क्षेत्र का विवरण :—

3.1 कार्य करने की जगह कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट का परिसर और वहां के बगीचे/पौधें होंगे।

3.2 कॉन्ट्रैक्टर/सर्विस प्रोवाइडर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सर्विस देने वाले कर्मचारियों/ऑपरेटरों के क्रेडेंशियल्स (योग्यता और पहचान संबंधी दस्तावेज) की ठीक से जाँच और सर्टिफिकेशन करवाए। साथ ही, सफाई और बगीचे के रखरखाव का काम करने वाले कर्मचारियों को साफ–सुथरी और सही वर्दी पहननी होगी और कॉन्ट्रैक्टर/सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया फोटो आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

3.3 कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट की मशीनीकृत साफ–सफाई की सेवायें और बगीचों/पौधों का रख–रखाव में संलग्न लिस्ट के अनुसार सफाई कार्य/रख–रखाव के कार्य शामिल होंगे।

3.4 जिन जगहों पर मशीनों से सफाई कार्य करना संभव है, वहाँ कुशल ऑपरेटरों के साथ पर्याप्त संख्या में सफाई मशीनें लगाई जाएँगी और जिन जगहों पर मशीनों से सफाई करना संभव नहीं है, वहाँ सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में सर्विस स्टाफ या कर्मचारी तैनात किए जाएँगे।

3.5 बगीचों के रखरखाव में पहले से मौजूद फूलों की क्यारियों, छोटे–बड़े पौधों और फूलों के गमलों की देखभाल शामिल होगी। संबंधित संस्थान को बगीचें की देखभाल और सुंदरता बढ़ाने के लिए जरूरी पौधे, खाद, बीज, घास, गमले, बर्तन, औजार और मशीनें उपलब्ध करानी होंगी। अनुबंधकर्ता बगीचे की देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में माली तैनात करेगा और जरूरी मशीनें, औजार आदि भी उपलब्ध कराएगा।

3.6 अनुबंधकर्ता को प्रत्येक दिन संलग्न सूची के अनुसार सभी जगहों की गीली और सूखी सफाई करवानी होगी। नियमों के अनुसार कचरे का निपटान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। गीली सफाई में अच्छे और जाने–माने ब्रांड के साबुन, फिनाइल और सफाई के अन्य केमिकल का इस्तेमाल करके सफाई करना शामिल होगा। इस मामले में "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट" के कार्यालय के निर्देश अंतिम होंगे और ठेकेदार को उनका पालन करना होगा।

3.7 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट द्वारा सौंपे गए इसी तरह के किसी भी अन्य कार्य को अनुबंधकर्ता को मानना होगा।

3.8 अनुबंधकर्ता को प्रत्येक कार्य दिवस में पुरुषों और महिलाओं के हर सार्वजनिक शौचालय पर एक स्वीपर/क्लीनर तैनात करना होगा। ये स्वीपर/क्लीनर यह सुनिश्चित करेंगे कि, सार्वजनिक शौचालयों की दिन में दो या तीन बार नियमित रूप से सफाई और स्वच्छता की जाए।

3.9 कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट के सफाई कार्य में न्यायालय कक्ष, पक्षकारों के शेड, ज्यूडिशियल लॉकअप, कॉरिडोर, कर्मचारियों के प्रत्येक कक्ष और कॉमन टायलट शामिल होंगे।

4. <u>नियम व शर्तें</u> :–

4.1 टेंडर डॉक्यूमेंट के सभी पेजों पर क्रम से नंबर डाले जाने चाहिए और उन पर बोली लगाने वाले के विधिवत हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।

4.2 निविदा बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में खोली जाएगी। बोली लगाने वाले का एक प्रतिनिधि वहां मौजूद रह सकता है। प्रस्तावों पर विचार करने के बाद टेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, सभी या किसी भी टेंडर भरने वाले को चर्चा के लिए बुलाया जा सकता है।

4.3 संबंधित संस्थान को आवश्यक संख्या में मशीनीकृत सफाई मशीनें उपलब्ध करानी होंगी। ठेकेदार/वेंडर को बगीचे के रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में माली तैनात करने होंगे और ऊपर बताए गए रखरखाव के लिए जरूरी मशीनें, उपकरण आदि भी ठेकेदार ही उपलब्ध कराएगा।

4.4 साफ–सफाई के कार्य का सामान और साबुन, फिनाइल, रूम फ्रेशनर, ब्रश, फ्लोर वाइपर वगैरह जैसी दूसरी जरूरी चीजों का खर्च अनुबंधकर्ता उठाएगा। सिर्फ प्रतिष्ठित कंपनी का ही सफाई का सामान इस्तेमाल किया जाएगा। अनुबंधकर्ता को मशीनें अच्छी हालत में रखनी होंगी।

4.5 किसी भी दिन की शुरुआती सफाई का कार्य उसी दिन सुबह 10.00 बजे से पहले पूर्ण करना होगा और आवश्कतानुसार इसे जारी रखना होगा। अगर कार्य उसी दिन पूरा नहीं होता है, तो भुगतान किये जाने वाली राशि में से प्रत्येक दिवस का रू. 2500/– का जुर्माना काटा जाएगा। अगर कोई मशीन लगातार तीन दिनों से ज्यादा समय तक बिना बदले या ठीक किए खराब रहती है, या ऑपरेटर/सर्विस देने वाला व्यक्ति लगातार तीन दिनों तक काम पर नहीं आता है, तो अनुबंधकर्ता को किए जाने वाले भुगतान में से प्रत्येक मशीन/प्रत्येक व्यक्ति के लिए रू. 2500 प्रति दिन की कटौती की जाएगी। अगर अनुबंधकर्ता या उसके कर्मचारी की लापरवाही या गलती की वजह से बगीचे के रखरखाव में देरी या नुकसान होता है, तो अनुबंधकर्ता पर रू. 250 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा।

4.6 अगर अनुबंधकर्ता किसी माह में कोर्ट कैंपस (सभी मुख्य गेटों के सामने वाले हिस्से सहित) की सफाई बनाए रखने में अनियमितता करता है, तो उस पर महीने की फीस का 75% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

4.7 इस अनुबंध के तहत सफाई के कार्य से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए, जब भी कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट के नजारात अनुभाग से दूरभाष पर सूचना मिले, अनुबंधकर्ता को तुरंत वहाँ पहुँचना होगा।

4.8 अनुबंधकर्ता का साबुन, फिनाइल, रूम फ्रेशनर, ब्रश, बर्तन, फ्लोर वाइपर वगैरह जैसी इस्तेमाल होने वाली चीजों का एक महीने का स्टॉक रखना होगा। इसे हर महीने के पहले हफ्ते में या जब भी कहा जाए, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय या इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को दिखाना होगा। अनुबंधकर्ता सजावटी पौधे, घास, बीज, खाद, मिट्टी और सीमेंट के खंभे और बगीचे के उपकरण उपलब्ध कराएगा तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बगीचे को सुंदर बनाने और उसकी देखभाल करने का कार्य अनुबंधकर्ता करेगा।

4.9 अनुबंध की अवधि के दौरान सफाई करने वाले व्यक्ति या मशीनों द्वारा कोई भी निजी कार्य नहीं किया जाएगा।

4.10 मशीनों को रखने की जगह और बिजली की सप्लाई लाइन की व्यवस्था प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट द्वारा की जाएगी। अगर जरूरत हुई, तो अतिरिक्त प्लग पॉइंट लगाने का खर्च अनुबंधकर्ता उठाएगा।

4.11 कार्यादेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

4.12 अनुबंधकर्ता को विभिन्न कार्यो और जिम्मेदारियों का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा। इस रजिस्टर की प्रत्येक सप्ताह के आखिर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट या इस कार्य के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाँच की जाएगी।

4.13 बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मशीनीकृत सफाई सेवाओं के लिए किसी भी कोटेशन या कोटेशन देने वाले को चुनने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा। यह निर्णय टेंडर में बताई गई दरों, सेवा की गुणवत्ता और बोली लगाने वाले के काम के अनुभव के आधार पर लिया जाएगा।

4.14 आवेदक को कार्या0–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में लगाई जाने वाली मशीनों के सभी तकनीकी विवरणिका जमा करनी होगी।

4.15 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी टेंडरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट सबसे कम कीमत वाले टेंडर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

4.16 बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर यह कोई बाध्यता नहीं है कि वे असफल निविदाकार को निविदा प्रक्रिया के परिणाम और निविदा अस्वीकार किए जाने के कारणों के बारे में सूचित करें।

4.17 सफल ठेकेदार को कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट के कार्यालय में सफाई मशीनों को चलाने के लिए तुरंत सर्विस कर्मियों/ऑपरेटरों को नियुक्त/तैनात करना होगा।

4.18 संबंधित ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि, वह संबंधित स्थान को पूरी तरह से साफ–सुथरा और सैनिटाइज्ड रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करे और इन निरीक्षणों की रिपोर्ट हर तिमाही में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट के कार्यालय में जमा करे।

4.19 अगर किसी व्यक्ति/लाभार्थी को गलत सर्विस की वजह से कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करने का अधिकार होगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नुकसान की भरपाई के लिए कम पड़ती है, तो बाकी रकम कॉन्ट्रैक्टर के बकाया पेमेंट से वसूली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

4.20 सर्विस कर्मियों/ऑपरेटरों के कामकाज और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जांच करने के लिए, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाएगा।

4.21 टेंडर में दी गई दरों को अनुबंध की अवधि के दौरान बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर दर बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो यह 10% से अधिक नहीं होगा।

4.22 बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंततः स्वीकृत/मंजूर की गई दरें पूरे अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी और किसी भी परिस्थिति में उनमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

4.23 नियुक्त की गई संस्थान किसी भी स्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई सब–कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त नहीं करेगी और न ही कॉन्ट्रैक्ट को सब–लीज पर देगी। यदि यह पाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, तो बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बिना किसी सूचना के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

4.24 सफल निविदाकर्ता को टेंडर स्वीकार होने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत का 20% सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट" के पक्ष में एफडीआर के रूप में या उतनी ही राशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बिना शर्त बैंक गारंटी के रूप में होनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद ही वापस की जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की सेवाएँ किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो स्थिति के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी या बैंक गारंटी भुना ली जाएगी।

4.25 अगर कॉन्टेक्टर का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसी भी समय बिना कोई कारण बताए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। इस मामले में, बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और कॉन्ट्रैक्टर पर बाध्यकारी होगा। बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है।

4.26 मंजूर दरों के आधार पर मासिक सेवाओं के लिए तीन प्रतियों में बिल तैयार करके भुगतान के लिए "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट" के नाम से जमा करने होंगे। सेवाओं के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान कार्यालय में उपलब्ध आवंटन की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, किसी भी कारण से बिल के भुगतान में देरी होने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

4.27 अगर बोली लगाने वाला समय से पहले अपना टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट वापस लेता है, तो उसकी अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

4.28 बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वार्षिक साफ–सफाई अनुबंध (Annual Cleaning Contract) को लागू करते समय टेंडर दस्तावेज की किसी भी शर्त या नियम में बदलाव, संशोधन या फेरबदल करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.29 मध्य प्रदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ–11–1/2023/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023 के अनुसार, ठेकेदार को परिसर की सफाई के लिए तैनात कर्मचारियों के नाम पहले से बताने होंगे और उन्हें गैर–तकनीकी कर्मचारियों (मजदूरों) के लिए कलेक्टर रेट के हिसाब से दैनिक मजदूरी दी जाएगी। कर्मचारियों का रजिस्टर ठेकेदार और कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय (ठेकेदार के कहने पर) दोनों द्वारा रखा जाएगा। अगर कर्मचारी, बालाघाट के प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट के निर्देशों के अनुसार तय समय से पहले अपनी हाजिरी लगाकर परिसर से चले जाते हैं, तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

4.30 ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संबंधित कर्मचारी कोर्ट के समय के दौरान परिसर में मौजूद रहेंगे।

4.31 संबंधित कर्मचारियों को परिसर में सफाई के अन्य कार्यो के लिए भी तैनात किया जा सकता है और ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट के निर्देशों का पालन करना होगा।

4.32 परिसर के रखरखाव के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट द्वारा कोई भी अन्य शर्तें और निर्देश लागू किए जा सकते हैं। ये निर्देश, समझौते की अवधि के दौरान समय–समय पर समझौते में पहले से तय शर्तों के साथ–साथ लागू होंगे।

4.33 अगर ठेकेदार अनुबंध की अवधि के बीच में ही काम छोड़ना चाहता है, तो उसे इस बारे में दो महीने पहले जानकारी देनी होगी और दो महीने तक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सुचारू रूप से काम करना होगा। ऐसा न करने पर, टेंडर भरते समय उसके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

4.34 अगर अनुबंध साइन होने के बाद, अनुबंध की अवधि के दौरान टेंडर लेने वाला व्यक्ति अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करता है, या अनुबंध के अनुसार काम न करने के कारण बालाघाट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे हटा दिया जाता है, तो उस टेंडर लेने वाले के बाद वाले टेंडर लेने वाले को अनुबंध में बताए गए काम के लिए तय रकम पर काम करने के लिए कहा जाएगा। अगर वह तय तारीख, समय और जगह पर मौजूद नहीं होता है या उस रकम पर काम करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो इसी क्रम में, काम का ऑर्डर अगले टेंडर लेने वाले को दिया जाएगा और उसके साथ टेंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा।

5. <u>पात्रता का मापदण्ड</u> :–

आवेदन करने वाली एजेंसी/फर्म के पास वैध Income Tax PAN No. और Service Tax Account No. नंबर होना चाहिए। एजेंसी के पास सफाई सेवाएँ प्रदान करने का कम से कम तीन (03) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टेंडर भरने वाले का उसी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 5 लाख रुपये का औसत सालाना टर्नओवर होना चाहिए। बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा की जानी चाहिए।

1. Audited Profit & Loss Account of last three years i.e. 2023-24, 2024-25, 2025-26
2. Service Tax & GSTN Registration Certificate.
3. Income Tax PAN No. and TIN No. (VAT Registration details)
4. Income Tax Return for the last three financial years i.e. 2023-24, 2024-25, 2025-26
5. ISO Certification for mechanized cleaning services.
6. Latest Service Tax Return.
7. Documents regarding Experience of 3 years in providing similar services.
8. The Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 25000**/- (Twenty Five thousand Only)** through a Demand Draft/Pay Order/ unconditional Bank Guarantee.
9. Tender fees of <u>Rs. 2500</u> **/- (Two thousand Five Hundred Only) through a Demand Draft/Pay** Order in favour of <u>Principal Judge, Family Court, Balaghat (M.P.)</u>

6. बोलियों का मूल्यांकन :–

6.1 टेक्नो–कमर्शियल बिड और प्राइस बिड का मूल्यांकन एक साथ, एक पैकेज के तौर पर किया जाएगा। इसे इस दस्तावेज में बताई गई सभी शर्तों और नियमों को पूरा करना होगा और इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए।

6.2 टेक्नो–कमर्शियल बिड और प्राइस बिड के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है।

7. बयाना राशि :–

टेंडर के साथ "Earnest Money Deposit (EMD)" के तौर पर रू. 25,000/- (मात्र पच्चीस हजार रुपये) जमा करने होंगे। यह राशि "प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट (Principal Judge, Family Court, Balaghat) के नाम से बने "अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट", "फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट (एफडीआर)" या किसी भी नेशनलाइज्ड/शेड्यूल्ड बैंक की "अनकंडीशनल बैंक गारंटी" (स्वीकार्य प्रारूप में) के रूप में होनी चाहिए। इसके बिना टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, असफल टेंडर भरने वालों को अर्नेस्ट मनी (EMD) वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की वापसी में देरी होने पर उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

8. निष्पादन की प्रत्याभूति (Security Deposit) :–

अनुबंधकर्ता को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट के पक्ष में अनुबंध की कुल कीमत के 10% के बराबर "अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट" या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से "बिना शर्त बैंक गारंटी" के रूप में "परफॉर्मेंस गारंटी" Security Deposit देनी होगी। "परफॉर्मेंस सिक्योरिटी" कॉन्ट्रैक्टर फर्म की सभी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जिम्मेदारियों (वारंटी सहित) के पूरा होने की तारीख के बाद भी साठ दिनों तक वैध रहनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही वापस किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान सेवाएँ किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, या कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, या कॉन्ट्रैक्टर या उसके कर्मचारियों की लापरवाही से कोई नुकसान होता है, तो यह डिपॉजिट जब्त किया जा सकता है। यह जब्तीकरण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट द्वारा कॉन्ट्रैक्टर फर्म के खिलाफ ऊपर बताई गई किसी भी वजह से की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

9. <u>मध्यस्थता (Arbitration)</u> :–

अनुबंध में अलग से कोई प्रावधान न होने पर, दिए गए निर्देशों, कार्य की गुणवत्ता या उपयोग में लाने जाने वाली सामग्री, या अनुबंध, अनुमानों, निर्देशों, आदेशों या इन शर्तों से जुड़े किसी भी सवाल, दावे, अधिकार, मामले या चीज से संबंधित सभी सवालों और विवादों को, चाहे वे कार्य के दौरान हों या कार्य पूरा होने या छोड़ने के बाद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाएगा। अगर नियुक्त आर्बिट्रेटर जिला न्यायालय का कर्मचारी है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही उसका उस मामले से कोई लेना–देना न हो जिससे अनुबंध संबंधित है, या उसने अपनी ड्यूटी के दौरान विवाद या मतभेद के किसी भी मामले पर अपनी राय दी हो। अगर जिस आर्बिट्रेटर को मामला सौंपा गया था, उसका स्थानांतरण हो जाता है, वह पद छोड़ देता है या किसी कारण से कार्य नहीं कर पाता है, तो नियुक्ति करने वाला अधिकारी (जैसा कि ऊपर बताया गया है) अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से मामले की कार्यवाही आगे बढ़ा सकेगा जहाँ उसके पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ा था। इस अनुबंध की एक शर्त यह भी है कि ऊपर बताए गए अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आर्बिट्रेटर के तौर पर कार्य नहीं करेगा, और अगर किसी कारण से ऐसा संभव नहीं होता है, तो मामले को आर्बिट्रेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा।

Annexure-A

TECHNO-COMMERCIAL BID

कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में
मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएँ और बगीचों/पौधों के रख–रखाव आदि हेतु

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या जहां इसे संलग्न किया गया है।
1.	फर्म का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाईल नंबर	
2.	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पद, पता और टेलीफोन/मोबाईल नंबर	
3.	कृपया बताएं कि टेण्डरकर्ता यक्ति एकमात्र मालिक (सोल प्रोपराइटर) है, पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी है।	
4.	निदेशकों/साझेदारों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई–मेल पता।	
5.	Income Tax Department द्वारा जारी पैन कार्ड की कॉपी और पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) के Income Tax Return की कॉपी।	
6.	वैध ISO Certificate (यदि कोई हो तो संलग्न करें)	
7.	Service Tax Registration No. (संलग्न करें)	
8.	Latest Service Tax Return (संलग्न करें)	
9.	पिछले तीन वर्षो के दौरान सालाना टर्नओवर 2023-24 ..... 2024-25 ..... 2025-26 ..... Please attach proof in the form of Profit & Loss Account)	
10.	मशीनीकृत सफाई सेवाओं और बगीचे के रखरखाव के लिए पिछले तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र।	
11.	Bid Security/Earnest Money Deposit जमा करने का विवरण a) Amount : b) Demand Draft/Pay order/ Banker Cheque No. c) Date of issue d) Name of issuing Bank.	
12.	अनुबंध के कार्य हेतु नियुक्त किए जाने वाले सर्विस कर्मियों और ऑपरेटरों की सूची उपलब्ध कराएं।	
13.	अनुबंध के कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली मशीनों की सूची उपलब्ध कराएं।	

—: बोलीकर्ता की घोषणा :—

यह प्रमाणित किया जाता है कि, इस टेंडर पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैंने/हमने टेंडर दस्तावेज में दी गई सभी शर्तों और नियमों को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम उनका सख्ती से पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और मैंन/हमने इस काम के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की शर्तों/नियमों और कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम बिना किसी शर्त या आपत्ति के इनका पालन करने का वचन देता ह/देते हैं। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति से उत्पन्न परिणामों के लिए मैं/हम जिम्मेदार होंगे/होंगी।

नोट :—

कृपया उन पेज नंबरों का उल्लेख करें जहाँ दस्तावेज संलग्न हैं। पूरे टेंडर दस्तावेजों (संलग्नक सहित) पर क्रमवार पेज नंबर होने चाहिए।

दिनांक :— .....

स्थान :— .....

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
और हस्ताक्षर (एजेंसी की मुहर के साथ)

Annexure-B

BIDDER'S ANNUAL TURNOVER

फर्म का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाईल नंबर

.....

.....

.....

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट (म0प्र0)

सन्दर्भ :– कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएँ और बगीचों/पौधों के रख–रखाव बाबत्।

महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेसर्स ..... (बोली लगाने वाले का नाम) का पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर Rs- ..... लाख से कम नहीं है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	संस्थान	वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3
		वार्षिक टर्नओवर की राशि	वार्षिक टर्नओवर की राशि	वार्षिक टर्नओवर की राशि
1				

दिनांक :– .....

स्थान :– .....

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
और हस्ताक्षर (एजेंसी की मुहर के साथ)

Annexure-C

समान कार्य का अनुभव

फर्म का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाईल नंबर

.....

.....

.....

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट (म0प्र0)

सन्दर्भ :– कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएं और बगीचों/पौधों के रख–रखाव बाबत्।

महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा और पुष्टि करते हैं कि हम, ... (बोली लगाने वाले का नाम), जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस उपरोक्त पते पर है, ने निम्नानुसार संस्थानों में साफ–सफाई एवं अन्य कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है :–

क्र	संस्थान/एजेन्सी का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	कार्य की लागत	कार्य का संक्षिप्त विवरण	क्या अनुबंध की प्रति संलग्न की गई है ?	
					हां/नहीं	पृष्ठ संख्या

भवदीय

.....

.....

.....

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद
बोली लगाने वाली कंपनी का नाम, पता व मुहर

सूची–1
सफाई व्यवस्था

कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएँ और बगीचों/पौधों के रख–रखाव बाबत्।

कार्य क्षेत्र का विवरण	स्थान	आवश्यक कार्य
सीलिंग, दीवारें, खिड़कियाँ और दरवाजे/आलमारियां इत्यादि	कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट	धूल साफ करना, जाले हटाना, क्लीनिंग एजेंट से शीशे साफ करना, जरूरत के अनुसार धूल–मिट्टी साफ करना।
सीढ़ियाँ	––"––	सूखा पोंछा लगाना, प्रेशर वॉटर से सफाई, वैक्यूमिंग
टॉयलेट एवं बाथरूम	––"––	प्रेशर वॉटर से सफाई, एसिड से सफाई, कीटाणुनाशक वगैरह से सफाई।
पानी के बूथ और वॉश बेसिन	––"––	प्रेशर वॉटर क्लीनिंग, एसिड से सफाई, कीटाणुनाशक वगैरह।
कचरा निपटान	––"––	इकट्ठा हुए कचरे और गंदगी को डिब्बों में जमा करना और उन्हें इस काम के लिए रखे गए मुख्य डिब्बे में डालना।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और पैनल की सफाई	––"––	उचित ग्लास क्लीनर से साफ करना।
हवा को ताजा रखने के उपाय	टॉयलेट एवं बाथरूम में	स्क्रबिंग और गीले पोछे के समय खुशबू वाले सफाई एजेंटों का इस्तेमाल, टॉयलेट में ओडोनिल और नेफथलीन की गोलियों की व्यवस्था और कोर्ट में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करना।
कोटा स्टोन, मार्बल, कांक्रीट टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स आदि से बनी सतह।	न्यायालय परिसर के कॉरिडोर क्षेत्र, खुले कॉनकोर्स क्षेत्र, शौचालय, बरामदा आदि।	झाड़ू लगाना, सूखा और गीला पोंछा लगाना, रगड़कर साफ करना, गीली सफाई, थूक आदि के दाग साफ करना।
एस्फाल्ट/बिटुमिनस और चेक्ड टाइल्स/ब्लॉक्स वाली सतह का क्षेत्रफल।	न्यायालय के प्रवेश–मार्ग, पहुँच–मार्ग, सड़क आदि।	झाड़ू लगाना, सूखा पोछा लगाना, गीली सफाई
अन्य खुरदरी सतहें	न्यायालय के आवाजाही वाला क्षेत्र	झाड़ू लगाना, कचरा बीनना, गंदगी आदि।

नोट :–

अनुबंधकर्ता से अनुरोध है, कि निविदा की दरें बताने से पहले वे कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट का निरीक्षण/दौरा करें, ताकि अनुबंध पूरा करने के लिए सही राशि बताई जा सके।

सूची–2
सफाई में इस्तेमाल होने वाले मशीन एवं उपकरण

कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट में मशीनीकृत साफ–सफाई सेवाएँ और बगीचों/पौधों के रख–रखाव बाबत्।

गतिविधि	मशीनीकृत सफाई वाली मशीन	अन्य उपकरण
झाड़–पोंछा एवं सफाई	इंडस्ट्रियल स्क्रबर–कम–ड्रायर, स्क्रबिंग, पोंछा लगाने और पानी वापस खींचने की सुविधाओं वाला कॉम्पैक्ट स्क्रबर।	स्क्वीजी, वाइपर, सैनिटरी ब्रश
झाड़ू लगाना, सूखा पोंछा और गीला पोंछा लगाना	पीछे–पीछे चलने वाले सफाई कर्मचारी के द्वारा उपयुक्त मशीन/उपकरण से	झाड़ू और सूखे पोछे
गीली सफाई/ गीले पोंछे से सफाई	हाई प्रेशर जेट क्लीनिंग मशीन।	वाइपर, गीला पोछा, स्क्वीजी
धूल और जाले साफ करना	गीले और सूखे कचरे के लिए वैक्यूम क्लीनर	डस्टर ब्रश /जाले एवं दीवार साफ करने वाला ब्रश
दाग–धब्बे हटाना (खारे पानी, पान की पीक आदि के दाग)	कॉम्पैक्ट स्क्रबर (कोनों और ऐसी जगहों के लिए जहाँ स्क्रबर मशीन नहीं पहुँच सकती)	सैनिटरी ब्रश, हैंड ब्रश
न्यायालय परिसर से कपड़ों कचरों इत्यादि के चिथड़े उठाना और सफाई करना	वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर और मैनुअल प्रक्रिया।	हाथ से उठाने वाले उपकरण, सफाई वाला ब्रश, पोल आदि।
कचरा, धूल, गंदगी आदि को इकट्ठा करना और उनका निपटान करना।	रबर के पहियों वाली ट्रॉली और पहियो वाली हाथगाड़ी	कचरा इकट्ठा करने के लिए डिब्बे, और चिथड़े व गंदगी उठाने वाले औजार।

सूची–3

मशीनीकृत सफाई सेवाओं हेतु कार्यक्षेत्रों के लिए कार्य की अनुसूची

क्र	कार्य का विवरण	क्षेत्र	कार्य हेतु दैनिक कार्यक्रम
1.	हाई–प्रेशर जेट से परिसर की धुलाई, ऑटोमैटिक स्क्रबर–कम–ड्रायर से सफाई, सही सैनिटरी सामग्री का इस्तेमाल करके कोनों और दीवारों पर लगे दाग–धब्बे हटाना, और मच्छर/मक्खी मारने वाली दवा या कीटाणुनाशक का छिड़काव करना।	कॉरिडोर, शौचालय और बरामदा, साथ ही वह इमारत जिसमें फाइलिंग सेक्शन और सर्वर रूम चल रहे हैं।	पान के दाग या अन्य दाग हटाना, और जरूरत के अनुसार लगातार रगड़कर साफ करना।
2.	आवाजाही वाले क्षेत्र और कॉनकोर्स की सफाई व झाड़ू–पोछा, और सीढ़ियों की सफाई।	आवाजाही का क्षेत्र, कॉनकोर्स, सीढ़ीयां	दिन में 2 बार और जरूरत पड़ने पर आने–जाने वाले इलाके (circulating area) में, और दिन में 1 बार – आने–जाने वाले इलाके के अलावा बाकी जगहों पर।
3.	मकड़ी के जाले हटाना, सफाई, धुलाई, गीले पोंछे से सफाई, दीवारों से धूल झाड़ना और खिड़की के शीशे साफ करना।	कुटुम्ब न्यायालय बालाघाट	न्यायालय और पब्लिक टॉयलेट के यूरिनल और टॉयलेट की दिन में दो या तीन बार सफाई करना। हफ्ते में एक बार जाले हटाना, कमरों में दिन में दो बार और जरूरत पड़ने पर पोछा लगाना। यूरिनल पॉट और वॉश बेसिन में नेफथलीन की गोलियाँ काफी संख्या में रखना। बाथरूम और टॉयलेट में ओडोनिल रखना। पानी के स्टैंड पोस्ट की रोज सफाई करना।
4.	डस्टबिन की सफाई, पानी के सभी स्टैंड और वॉटर कूलर के बेसिन की सफाई, और डस्टबिन के लिए पॉलीथीन बैग लगाना।	सभी पानी के स्टैंड की सफाई	दिन में दो बार सभी डस्टबिन की सफाई करना और उन्हें पॉलीथीन बैग से ढकना।
5.	पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी	सफाई से जुड़ी सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना	सुबह 7.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सूची–4
मशीनीकृत सफाई सेवाओं हेतु कार्यक्षेत्रों के लिए कार्य की अनुसूची

रोजाना जरूरी मैनपावर – जरूरत के अनुसार पर्याप्त लेबर और सुपरवाइजर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस्तेमाल के लिए जरूरी केमिकल और सफाई के सामान।

क्र.	सामग्री का विवरण
1.	कास्टिक सोडा
2.	ब्लीचिंग पाउडर
3.	सोडा ऐश
4.	एच.सी.एल. एसिड
5.	मक्खी/मच्छर मारने वाली दवा
6.	नेफथलीन की गोलियाँ
7.	ओडोनिल
8.	ग्लास क्लीनर
9.	एयर फ्रेशनर
10.	अल्कलाइन कंसंट्रेट (दाग हटाने वाला)
11.	फिनाइल
12.	आइसोप्रोपाइल अल्कोहल

जरूरत के अनुसार इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री

क्र.	सामग्री का विवरण
1.	झाड़ू
2.	लोहे का पंजा (कचरा उठाने वाला)
3.	बड़ा प्लास्टिक का ड्रम/बाल्टी
4.	तसला (कचरा उठाने का बर्तन)
5.	फावड़ा
6.	लंबी डंडी वाला जाले साफ करने का ब्रश
7.	दीवार/टाइल्स साफ करने के लिए स्पंज
8.	धूल साफ करने वाले कपड़े

9. गीला पोंछा

10. सूखा पोंछा

11. दाग हटाने वाला (स्टेन रिमूवर)

12. पॉलीथीन बैग

13. इलेक्ट्रोस्टैटिक कपड़ा

14. सूती कपड़े

15. कचरा/डिस्पोजल का सामान रखने के लिए पॉलीथीन बैग वाली बड़ी बाल्टियाँ।

16. काम की जरूरत के हिसाब से अन्य उपकरण।

मजदूरों के लिए यूनिफॉर्म और अन्य सामान : मजदूरों के लिए यूनिफॉर्म, चश्मे, दस्ताने, नोज मास्क, टोपी, जूते आदि। (ISO/BSI/ISI सर्टिफाइड)

नोट – अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी मटीरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रपोजल में दिए गए काम के शेड्यूल के अनुसार कम से कम सैनिटरी मटीरियल और मैनपावर का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि, कोर्ट बिल्डिंग परिसर को हर समय साफ–सुथरा रखना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है और वह अपने खर्च पर अतिरिक्त मशीनें और मैनपावर लगा सकता है।